न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 41 / 2016

अनवान :-

जगदीशचन्द्र पुत्र लिखमाराम जाति विश्नोई निवासी पिथरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर

अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर

रेस्पोण्डेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1— अपीलाण्ट पक्ष की और से — श्री हरिराम विश्नोई अधिवक्ता
2— स्टेट की और से — विभागीय प्रतिनिधि

—::निर्णय::— दिनांक 28.06.2019

1. अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार (राजस्व) नोखा के आदेश दिनांक 18.09.2015 जिसकी रूह से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व न्याय नियम रूहेदाद मिसल एवं प्रस्तुत रिकार्ड एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिले इखराजी के है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.9.2015 निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट (तहसीलदार नोखा) को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त किया गया।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के बिन्दुओं को दौहराते हुवे निवेदन किया कि ग्राम रोही पिथरासर तहसील नोखा में अपीलान्ट के पिता के नाम संवत 2004 में खसरा नम्बर 111 जिसके नये खसरा नं. 524, 525 व 526 भूमि क्रमशः 12.64, 0.35, 7.12 कुल 20.11 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो वर्तमान में अपीलान्ट के नाम से है व खसरा नं. 110 जिसके नये खसरा नं. 512, 513 बने है। इसी के पास खसरा नं. 108 जिसके नये नं. 509 बने है व संवत् 2004 में जो रास्ता 2 गट्ठे यानि 16.5 फीट का दिखाया गया है वो खसरा नम्बर 108 व 110 का भाग है जिसके नये खसरा नम्बर 514 बने है। इस प्रकार उक्त रास्ता अपीलान्ट के खेत के चिपता कभी नहीं रहा व सेटलमेंट होने पर सेटलमेंट कर्मचारियों ने उक्त रास्ता को बढ़ाकर 25 फीट व कहीं 35 फीट का कर दिया व स्थान बदल दिया, बढ़ा हुआ रास्ता अपीलान्ट के खसरा नम्बर 524 व 526 की तरफ बढ़ाकर दिखा दिया गया जिस पर पड़ौसियों द्वारा रास्तों का अतिक्रमण बाबत शिकायत करने पर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

एक साथ तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा दो पत्रावलियां धारा 91 की कायम की गई इन दोनों आदेशों की अपील करने पर न्यायालय हाजा ने उक्त आदेश के साथ रिमाण्ड किया कि इस मामले में संबंधित पक्षकारों को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें, सुनवाई के दौरान मौके की पेमाईश करवाकर राजस्व रिकार्ड से यह भी सुनिश्चित किया जावे कि गत भू–प्रबन्ध से पूर्व मौके पर कितने फुट का रास्ता था व वर्तमान में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कितने फुट का रास्ता कायम किया गया है। रिमाण्ड प्रकरण में विधिवत् सुनवाई किये बिना इकतरफा तौर पर 0.10 हैक्टयर के रास्ते पर अतिक्रमण मानते हुवे बेदखली के आदेश पारित किये गये। आदेश की सर्वप्रथम जानकारी से प्रथम अपील पेश की गई है। विद्वान वकील अपीलान्ट की यह भी बहस है कि संवत् 2004 में खसरा नं. 111 जो मीन नम्बर 299/111 बने है पुनः सेटेलमेंट होने पर नये खसरा नंबर 524, 525, 526 बने है। जिनकी भूमि क्रमश 12.64, 0.35, 7.12 कुल 20.11 हैक्टयर है। इसी प्रकार इसी खसरे के चिपते खसरा नंबर 108,110 जिसके नये खसरा नम्बर 514 बने है। उक्त खसरे का पुराना रास्ता 2 गट्ठे यानि साढे सोलह फिट था। जिसे वर्तमान में 0.10 हैक्टयर यानि 25 व 35 फिट चौड़ा रास्ता बना दिया जिसमें 0.10 हैक्टयर भूमि अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 526 व 524 के किनारे की तरफ बढ़ी हुई बताकर अतिक्रमण मानकर बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा आदेश पारित करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना इकतरफा आदेश पारित किया है, जो विरोधाभाषी एवं निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.9.2015 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट तहसीलदार(राजस्व) नोखा की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का जयसिंहदेसर मगरा द्वारा गैर मुमकीन रास्ते पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर दिनांक 4.1.2013 को नायब तहसीलदार नोखा तथा दिनांक 28.5.2013 को तहसीलदार नोखा के यहां पृथक–पृथक प्रकरण दायर हुवे। अप्रार्थी लिखमाराम पुत्र केशराराम व जगदीश पुत्र लिखमाराम जाति बिश्नोई साकिन पिथरासर ने खसरा नं. 514 रबका 0.10 हैक्टेयर रोही पिथरासर किस्म गैर मुमकीन रास्ता में संवत् 2069 व 2070 नाजायज कब्जा करके अतिक्रमण किया है। प्रकरणों में गिरदावर हल्का द्वारा जांच करवाई गई। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर अतिक्रमी मानते हुवे बेदखली व जुर्माना वसूल करने के आदेश दिनांक 27.6.2013 व 5.9.2013 को पारित किये गये है। अप्रार्थीगण द्वारा निर्णयों के विरूद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 23.12.2013 को रिमाण्ड की गई। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23.12.2013 के विरूद्ध अपील संख्या 2/2014 व 3/2014 माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में पेश की गई। माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर बीकानेर के निर्णय दिनांक 23.12.2013 को यथावत रखा गया। अप्रार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा पारित स्थगन

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

दिनांक 21.2.2014 की प्रति प्रस्तुत की, जो अप्रार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमित रकबे से भिन्न था। पूर्व कायम पत्रावली में दिनांक 3.7.2015 को सीमाज्ञान करवाया गया । अपीलान्ट को भी दूरभाष पर सूचित कर दिया गया था। दिनांक 10.8.2015 को गिरदावर व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 7.9.2015 की रिपोर्ट फर्द में खसरा नम्बर 514 गैरमुमकीन रास्ता है, जो मौके पर लगभग 3 मीटर चौडाई में खुला है परन्तु नक्शे के मुताबिक यह रास्ता कही पर 5 मीटर व कहीं पर 8 मीटर चौड़ाई पर है जिस पर अपीलान्ट द्वारा कब्जा करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल करते हुवे कब्जा बहक सरकार लेने हेतु आदेश दिये गये। मौके पर शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस थाना पांचू की इमदाद हेतु पत्र जारी किया गया तथा ग्राम पंचायत पांचू को जेसीबी मशीन उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये । अपीलान्ट पर की गई कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार की गई है। अतः अपील अपीलार्न्ट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। यह अपील अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.9.2015 द्वारा अतिक्रमी घोषित किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जबकि अपीलान्ट को मूलतः पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.06.2013 को अतिक्रमी घोषित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अदालतवाला द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 23.12.2013 को पारित करते हुवे प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा को रिमाण्ड किया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2015 को खारिज किये जाने के उपरान्त तहसीलदार नोखा द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में दिये गये निर्देश बाबत पैमाईश में मुताबिक फर्द मौका दिनांक 3.7.2015 को अपीलान्ट मौके पर उपस्थित नहीं हुवे। इसके अतिरिक्त राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में दर्ज गैर मुमकीन रास्ता के गलत अंकन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो अधीनस्थ न्यायालय में स्थगन के अभाव में अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने पर कोई रोक नहीं है। जहां तक अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा प्रकरण संख्या 23/14 की आदेशिका दिनांक 21.2.2014 का प्रश्न है। उसमें खसरा नम्बर 514 के 0.10 हैक्टेयर के संबंध में कोई आदेश नहीं है। जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध खसरा नम्बर 514 के 0.10 हैक्टयर गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुवे कार्यवाही की है। जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने के आधार नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति. जिला कलक्टर,(प्रशा.)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner